The Hindu Succession (Amendment) Bill, 2004

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Sir I beg to move:

That the Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956, be taken into consideration.

Sir, I have the pleasure to commend the Hindu Succession (Amendment) Bill, 2004, for consideration of this august House.

The National Common Minimum Programme of our Government *Inter alia* seeks to give complete legal equality for women in all spheres a practical reality, especially by removing discriminative legislation and by enacting a new legislation that gives equal rights of ownership of assets like houses and land.

Sir, you are aware that Article 14 and 15 of our Constitution guarantees equality before laws and gender equality. Article 15 of the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women adopted by the United Nations General assembly on 18th December, 1979 clearly mandates that the State shall accord to women equality with men before law and in all civil matters. The Universal Declaration of Human Rights also guarantees substantial equal justice to women.

Sir, in this perspective, we have brought the Hindu Succession (Amendment) Bill, 2004 before this august House on 20th December, 2004. The Bill was referred to the Parliamentary Standing Committee, and, I am happy to inform this august House that the Committee has returned the Bill with certain recommendations.

Sir, we are all aware that the Hindu law was consolidated in the 50s when the Hindu Marriage Act, 1955, the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, the Hindu Succession Act, 1956 and the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 were adopted. We generally call these pieces of legislations, the Hindu Code as the legislation was originally moved as the Hindu code Bill.

After this, there was a demand to confer equality to women in the matter of coparcenary property. Section 6 of the Hindu succession Act deals with the devolution of interest in coparcenary property. The provision clearly discriminates daughters, as they are not coparceners like the sons. This provision has been identified by the Law Commission of India as one of the discriminative provisions violating articles 14 and 15 of the Constitution. The Commission made a *suo motu* study of the discriminative provisions of the Hindu Succession Act and presented its 174th Report on "Property Rights of Women: Proposed reform under the Hindu Law" (may, 2000) to the Central Government. The Government considered the said Report in consultation with the State Governments and decided to give equal right to daughter in Hindu joint family property governed by the *Mitakshara* law. In this connection, I would like to inform this august House that several States have already made local amendments to the Act. These are:- I) The Hindu Succession (Andhra Pradesh Amendment) Act, 1986; ii) The Hindu Succession (Tamil Nadu Amendment) Act, 1990; iii) The Hindu Succession (Karnataka Amendment) Act, 1994; iv) The Hindu Succession (Maharashtra Amendment) Act, 1994; and, by the Kerala Joint Hindu Family System (Abolition) Act, 1974, the State of Kerala has totally abolished the right by birth of males and put an end to the joint Hindu family system instead of tinkering with the coparcenary. Sir this has to be improved further and now the present law makes certain provisions. The benefit of the proposed new section relating to devolution of interest in coparcenary property is one item, and, declaring daughters also as coparceners by birth is proposed to be extended to married daughters as well subject to the condition that it shall not affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which has taken place before the introduction of this Bill in Rajya Sabha on 20th December, 2004.

It has been represented that there is a generational difference of depth of successors of male and female. It is now proposed to remove this disparity by putting the same depth of a generation in Class One of the heirs. The Standing Committee has recommended omission of section 24, which deals with prevention of certain widows from inhering property of the interstate if she gets remarried as there

is no corresponding disability to widowers. It is proposed to amend this section.

Sir, I think, these are very progressive measures and, I hope, there will be no difficulty for this hon. House to pass this Bill. With these words, I commend this Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभापति जी, हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक 2004 के पक्ष में बोलने के लिए, मैं खड़ी हूं। इस विधेयक का नीतिगत निर्णय एनडीए सरकार ने किया था और उसका आज परिपालन वर्तमान सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इससे एनडीए सरकार के अधूरे कार्य को पूर्णता प्राप्त होगी। मेरी पार्टी महिलाओं के आत्म गौरव की, महिलाओं की गरिमा की, उनके अधिकारों की और साथ ही साथ उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पक्षधर रही है। यह विसंगति ही है कि आज भी त्याग, संयम, सहयोग और शांति की प्रतीक महिला का एक रूप पुत्री–वह अपने ही परिवार में अन्याय और परायेपन की शिकार रही है। परिवार के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाली पुत्री को अब तक संवैधानिक अधिकार और विरासत से वंचित रखा गया था। मानो वह अपने परिवार की सदस्य होकर भी परिवार का अंग न थी। पुत्र और पुत्री के बीच होने वाला विभेद हमेशा उसकी अस्मिता और उसके अस्तित्व को ही ललकारता रहा है। लेकिन इस संशोधन विधेयक में पुत्री को पैत्रिक सम्पत्ति में पुत्र के समान अधिकारिणी बनाकर महिला संशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, इसका मैं दिल से स्वागत करती हूं। 'यह मेरी बेटी नहीं, बेटा है', ये उदगार प्रकट करने वाले पिता एक तरफ तो अपनी बेटी के अनेक गुणों की तारीफ करता है, लेकिन दूसरी तरफ परिवार की सम्पत्ति के विरासत का अधिकारी बनाने के समय पुत्री को पुत्र जैसा मानने का उसका गर्व जैसा उल्लास और अल्हाद है, वह पता नहीं कहां नदारद हो जाता है। पुत्री चाहे जितनी भी प्रतिभा सम्पन्न हो और पुत्र कितना भी कुपुत्र हो, लेकिन उत्तराधिकार अधिनियम भी सम्पत्ति के अधिकार को लेकर, पुत्र का ही पक्षधर रहा है तथा पुत्री को इस लाभ से वंचित करता रहा है। इस अधिनियम की प्रतिछाया में पुत्री के अपने बराबरी के संवैधानिक अधिकार का हनन होता रहा है, वहीं उसे दोयम दर्जे के नागरिक का भी बोध कराया जाता रहा है। समकालीन समाज में परिवार के भरण-पोषण में पुरुषों के साथ ही महिला का भी सक्रिय योगदान रहता है। लेकिन पारिवारिक सम्पत्ति में उसका अधिकार न होना, उसमें हीन भावना पैदा करता है। जो उसके उत्पीड़न का भी कारक बनता है। राजनैतिक व सामाजिक स्तर पर महिला को बराबरी का दर्जा देने और उसके आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए सबसे जरुरी है कि उसे आर्थिक रूप से सम्पन्न

बनाया जाए। लिंग आधारित विभेद के चलते पुत्रियों को उनके विरासत से पृथक न किए जाने के इस विधेयक से महिलाओं में आत्म विश्वास बढ़ेगा तथा वे परिवार व समाज में बराबरी का दर्जा भी पा सकेंगी। महोदय, एक सिविल सोसाइटी में महिलाओं के अधिकारों का हनन समाज के पतन की निशानी होती है। अब तक भारतीय समाज का इतिहास स्त्रियों के हितों व अधिकारों और उसके मान की रक्षा करने वाला इतिहास रहा है। इस संशोधन विधेयक के जरिए पैतृक संपत्ति के अधिकार में पुत्रियों को समानता दिए जाने से दहेज, बाल विवाह तथा महिला उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्ति का द्वारा खुल सकेगा और समाज व परिवार का दृष्टिकोण भी महिलाओं के प्रति बदलेगा। महोदय, इस विधेयक के सफल क्रियान्वयन के लिए इस दिशा में सामाजिक जागरुकता पैदा करने की जरूरत है, साथ ही शिक्षा और साक्षरता अभियान को अधिक गतिशील बनाया जाना चाहिए, ताकि विधेयक का दुरुपयोग न हो तथा विधेयक की भावना के अनुरुप स्त्री को शक्ति व अधिकार सम्पन्न न केवल कानूनी रूप से, वरन् व्यवहारिक रूप से भी बनाया जा सके। वर्तमान में समाज के विकास तथा आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। अत: उसे पैतृक सम्पत्ति में बराबरी का अधिकारी कानूनन रूप से दिलाने से उसकी यह भूमिका अधिक कारगर और रचनात्मक होगी। साथ ही संविधान का भी सम्मान होगा। जो स्त्री व पुरुष की सामाजिक व आर्थिक तथा कानूनन रूप से बराबरी का दर्जा प्रदान करने की बात करता है। महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक व्यवहारिक कठिनाई की ओर दिलाना चाहती हूं कि देश के बड़े-बड़े शहरों में डॉइवोर्स के लिए अलग अदालते हों.....।

दिल्ली में तो कई हैं। देश में तलाक के केसिज में निरंतर वृद्धि हो रही है। तलाक के बाद महिला की स्थिति बड़ी खराब होती है। बच्चे का पालन करना, उसे पढ़ाना, इसके साथ-साथ स्वयं भी इज्जत से समाज में अपनी जिंदगी बसर कर सके, इसके लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। कुछ महिलाएं तो संघर्ष के दौरान टूट जाती हैं और कुछ महिलाएं गलत रास्ते पर पहुंच जाती हैं, कुछ महिलाएं पेट की भूख शांत करने के लिए मजदूरी से थोड़ा-बहुत कमा लेती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ विधवा और परित्यक्ता, दोनों की समाज में स्थिति बहुत खराब है। कोई भी ऐसी परिस्थिति में स्त्री का साथ देने वाला नहीं होता है, उसका शोषण करने वाले बहुत होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं तलाक के बारे में ज्यादा नहीं जानती हैं। बहुत सारे पुरुष पति ऐसे होते हैं, जो उन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं और फिर जिंदगी भर वापस नहीं लौटते हैं। गांव में जो महिला होती है या कम उम्र की बच्ची होती है, वह जिंदगी भर कैसे गुजर-बसर करती है, इसका अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। इसी तरह से जो छोटी उम्र की बच्चियां विधवा हो जाती

हैं और उन्हें ससुराल में घर से निकाल दिया जाता है, दूसरी तरफ जब वह मायके आती है तो उसे मायके में भी वह सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है, जहां वह जन्म लेती है, वहां की संपत्ति में उसे हक नहीं मिलता है। जब शादी की जाती है तो लोगों की यह मानसिकता रहती है कि हमारे परिवार में बेटी पराया धन होती है, अब शादी हो गई, बेटी पराए घर की हो गई, उसका इस घर से कोई वास्ता नहीं है। निस्संदेह यह विधेयक उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ऐसी सभी महिलाओं के साथ, जो महिलाएं पिछड़े वर्ग से हैं, जो महिलाएं गरीब हैं, जो महिलाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, जिनके पास संपत्ति में से हक मांगने के लिए, केस लड़ने के लिए पैसा नहीं होता है, वे केस नहीं लड़ सकती हैं, वे पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, जो समर्थ महिलाएं नहीं हैं, जो हैं, जो कोर्ट नहीं जा सकती हैं, देश में ऐसी लाखों महिलाएं हैं, हम चाहते हैं कि इस बिल के मुताबिक, जो विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन जी रही हैं, अपना जीवन काट रहीं हैं, ऐसी महिलाओं को इस विधेयक के मुताबिक सरकार उनका हक दिलाने में मदद करे। उनकी जो व्यावहारिक कठिनाई है, उस कठिनाई को हल करने में यह सरकार मदद करे। यह जो विधेयक महिलाओं के हित के लिए आज लाया गया, यह बहुत अच्छा विधेयक है, मैं इस विधेयक का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में हिंदु उत्तराधिकार विधेयक में पहले से ही कुछ संशोधन कर पुत्रियों को पैतृक संपत्ति का अधिकारी बनाया जा चुका है। केंद्र के इस संशोधन विधेयक के बाद यह कानून सारे देश में समान रूप से लागू होगा और इसका लाभ देश की महिलाएं उठा सकेंगीं। अत: मैं इसके समर्थन साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

डा॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): धन्यवाद, उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक विधेयक, "हिंदू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, 2004" लाने के लिए यू.पी. ए. सरकार और जो कानून मंत्री जी यहां बैठे हैं, उन्हें बधाई देती हूं। नीति चाहे कोई भी बनाए, लेकिन जब तक नीति पर अमल न किया जाए, तब तक उसके कोई मायने नहीं होते, उसका कोई महत्व नहीं होता। मैं यहां यह कहना चाहूंगी, यह राजनीति का सवाल नहीं है, चार साल पहले ही लॉ कमीशन द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जिसकी कि लॉ कमीशन ने चार वर्ष पूर्व सिफारिश की थी और पिछली एन.डी.ए. सरकार के दौरान ही नीतिगत बात हुई, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ और यह चार साल तक ठण्डे बस्ते में पड़ा रहा। मैं UPA सरकार की संकल्प शक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूं, UPA सरकार के प्रधानमंत्री जी को और UPA चेयरमैन सोनिया जी को मैं धन्यवाद देना

चाहती हूं, जिनकी संकल्प शक्ति के कारण महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में आज यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ है।

उपसभापति जी, वैसे तो हिंदू समाज में महिलाओं के लिए बड़े-बड़े जुमले कहे जाते हैं- स्त्री देवी हैं, शक्तिस्वरूपा है, लक्ष्मीरूपा है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता - ऐसी-ऐसी बातें नारी के सम्मान में कही जाती हैं, लेकिन जब सचमुच कोई शक्ति देने की बात कही जाती है, तो कुछ नहीं होता। महिला सशक्तीकरण की बातें तो सब करते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। सुब्बारामी जी भी शायद मुझसे सहमत होंगे, जब यह विधेयक सदन में लाया जा रहा है, तो वे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं।

उपसभापति महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिला आरक्षण विधेयक जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह विधेयक है - हिंदू समाज में, हिंदू परिवारों में स्त्री को, बेटी, मां, पत्नी, बहन, बहू के रूप में सशक्त करने के लिए। मुझे उम्मीद थी कि जब यह विधेयक आएगा तो पूरा सदन शायद खचाखच भरा होगा और सभी इससे जुड़े होंगे, लेकिन खासकर उधर जो ठंडक है, उसे देखकर मुझे हताशा हुई। कुछ महिलाएं और होतीं तो और अच्छा होता।

उपसभापति महोदय, इस विधेयक के माध्यम से संविधान में समानता के अधिकार पर इस प्रकार जो मोहर लगाई गई है, सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। जब तक महिलाओं का शैक्षणिक, राजनीतिक, संवैधानिक और आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक महिलाएं इस समाज में कमजोर वर्ग के रूप में रहेंगी और यह स्थिति आज भी है। वे आज भी पिछड़े वर्ग के रूप में हैं। हम रोज सदन में बात उठाते हैं कि महिलाएं अत्याचारों को सह रही हैं, कई जगह परिवारों में वे जुल्म की शिकार हो रही हैं, कई जगह वे अनचाहे ताने, गालियां, उलाहने, शारीरिक और मानसिक यातनाओं को इसलिए भोग रही हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हैं। इस पुरुष प्रधान समाज में व्यवस्था ऐसी है कि पूरी आर्थिक शक्तियां पुरुषों के पास हैं, तो वे आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इस दयनीय स्थिति को भुगत रही हैं।

महोदय, मैं यहां किसी के विरोध में नहीं हूं। जब भाइयों का समर्थन मिलेगा, तभी यह विधेयक पारित होगा और हमें उनका समर्थन चाहिए भी। मैं यह समझती हूं कि आज जब कि एक ओर शिक्षा बढ़ रही है, लड़कियों को रोजगार में आरक्षण मिल रहा है,

लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता को प्रमाणित कर रही हैं, ऐसे स्थिति में यह समय की मांग है, और यह मांग बहुत पहले से थी कि स्त्री को सचमुच परिवार में बराबरी का हक देने के लिए इस तरह का विधेयक लाया जाए।

महोदय, आज भी समाज में कन्या को द्वितीय श्रेणी का माना जाता है। मैं गांवों की बात नहीं कर रही हूं, इन आंकड़ों से सभी परिचित होंगे कि भ्रूण हत्या का यह कहर खासकर लड़कियों पर उत्तर भारत में टूट रहा है और उत्तर भारत में भी शिक्षित समाज में टूट रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम प्रदेशों में कन्या भ्रूण हत्या की दर सबसे अधिक है। मैं दक्षिण भारत के लोगों को साधुवाद देना चाहूंगी कि वहां बेटी की कदर है, बेटी की सचमुच कदर है, इसलिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों में ....(**व्यवधान**)

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): In 1983, the N. T. Rama Rao Government had passed this law. *(Interruptions)*

डा॰ प्रभा ठाकुर: इन तमाम प्रदेशों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता समझी गई और ऐसे विधेयक लाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया। उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में और वह भी शिक्षित समाज में कन्या भ्रूण हत्या की जो स्थिति है, वह गंभीर है। एक तरफ जहां उनमें परिवार नियोजन की चेतना आई है, उसके कारण दो बेटे तो चलते हैं, लेकिन दो बेटियां स्वीकार नहीं हैं, यह स्थिति है। मैं इस विधेयक पर चर्चा के संदर्भ में कई जगह यह कुतर्क सुनती हूं कि अगर यह विधेयक आ गया तो इससे कन्या भ्रूण हत्या में बढ़ोतरी हो जाएगी।

मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसा तर्क है? मैं नहीं समझती कि भाइयों का विचार बहनों के प्रति कहीं ऐसा हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि पिता सिर्फ इस कारण से पुत्री का गला घोंट कर मार डालेगा कि कहीं उसे हिस्सा न देना पड़ जाए। मैं नहीं समझती कि ऐसा होगा।

इस विधेयक के आने से जो एक और सबसे बड़ी बात होगी, वह यह होगी कि जब महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो जो मां होगी, वह सास या पति का किसी तरह का कोई दबाव मानने के लिए कभी बाध्य नहीं होगी। इस कारण से इस कन्या भ्रूण हत्या में कमी आएगी, क्योंकि वह अपने आप निर्णय ले सकेगी और वह अपनी संतान को, जिसे कई बार उसे अनचाहे भ्रूण में ही समाप्त करना पड़ता है, वह दबाव उस पर से हटेगा। चाहे बहन के रूप में या बेटी के रूप में या बहू के रूप में हो, जब वह आर्थिक

रूप से क्षमतावान होगी, तो उसका अपने परिवार में सम्मान बढ़ जाएगा, उसका गौरव बढ़ जाएगा। पति, सास, ससुर या और परिजन, जो उसके ऊपर अत्याचार या शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, वे दस बार सोचेंगे कि कोई बात नहीं, हमारी बहू भी आखिर इतनी सम्पत्ति की अधिकारी है, हकदार है। वे इस बात को सोचेंगे और इस तरह से महिला को समाज में अन्याय से मुक्ति मिलेगी या दहेज के नाम पर बहुओं को जो रोज जलाए जाने की या प्रताड़ित किए जाने की अक्सर खबरें आती हैं, इनमें बहुत कमी आ जाएगी। महोदय, क्योंकि इससे स्त्री का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। यह विधेयक उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना सूचना प्राप्ति के अधिकार सम्बन्धी विधेयक, जितना रोजगार गारंटी विधेयक, जितना महिला आरक्षण विधेयक, यह हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक उतना ही महत्वपूर्ण है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करता है। मैं इसका बहुत स्वागत करती हूं, मैं इसका समर्थन करती हूं।

मैं यह बताना चाहती हूं कि जिस विधि आयोग ने संविधान में संशोधन करके यह विधेयक लाए जाने की रिकॅमेंडेशन दी है, उस लॉ कमीशन के जो माननीय सदस्य थे, उनमें श्रीमती लीला सेठ, जो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, वे इस आयोग की माननीय सदस्य रहीं। श्री एन.एम. घटाटे, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहयोगी रहे और उनके संसदीय भाषणों को संकलित और एडिट करते थे, वे भी इसके सदस्य रहे। उनकी इसमें पूरी स्वीकृति रही है।

जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि विधवा की, परित्यक्ता की ऐसी दयनीय स्थिति इस हिन्दू समाज में परिवारों में हो जाती है कि उसे कई बार मजबूर होकर कभी वृंदावन में, कभी हरिद्वार में और कभी काशी में शरण लेकर अपनी उम्र किस तरह से गुजारनी पड़ती है, जिस पर गुजरती है, वही जानता है। मुझे इस सन्दर्भ में पाकिस्तान की मशहूर शायरा परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है कि

"तलाक दे तो रहे हो, गरुर-ओ-कहर के साथ

मेरा शबाब भी लौटा दो, मेरे मेहर के साथ"

महिलाओं के मन में यह भावना है, वे यह महसूस करती हैं, संकोच के कारण या बहुत दबे-शोषित रहने के कारण कि वे अपनी आवाज नहीं उठा पातीं। लेकिन आज जो इस सदन में यह आवाज उठ रही है, यह जो विधेयक आया है, इसके ऊपर आज महिलाओं का, जो इस देश में 50 फीसदी हैं, मैं कानून मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि

उनको, सोनिया जी को, इस यूपीए सरकार को उनका कितना-कितना आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं प्राप्त होंगी, इसका वे अंदाज नहीं लगा सकते।

कहने को तो महोदय यह होता है कि लेडिज फर्स्ट, लेकिन महिलाओं को जब कोई हक देने की बात आती है, कोई सीट देने की बात आती है, तो फिर कहा जाता है कि इनमें योग्यता नहीं है। इन्हें किस बात का हक मिलना चाहिए। बस खाली जबानी संवेदना, खाली जबानी सहानुभूति और जब हक देने की बात आती है, तब महिला का नम्बर कहां आता है, कुछ पता नहीं चलता।

महोदय, समाज में एक प्रवृत्ति हो गई है कि जब महिला आर्थिक रूप से कोई आजीविका नहीं कमाती और यह पूछा जाता है कि यह महिला क्या कर रही है, तो चाहे वह घर में पूरे घर का काम कर रही हो, खाना बना रही हो, बच्चों को जन्म दे रही हो, उनको पाल रही हो, उनके साथ सो रही हो, जाग रही हो, चूल्हा-चौका कर रही हो, झाड़ू-पोछा कर रही हो, फिर भी जब उस महिला के बारे में यह कहा जाता है कि वह क्या करती है, तो यह कहा जाता है कि कुछ नहीं करती, घर में बैठी है। महोदय, इतना सारा काम करने के बाद कहा जाता हैं कि she is just a housewife. यानी यह कुछ नहीं कर रही है, इसका कोई योगदान नहीं है। बिना आर्थिक साधन कमाए इस समाज में उसके कर्म का मूल्य जीरो है। इस तरह से कहा जाता है कि ...(व्यवधान)... तो महोदय, इसलिए जब इस समाज में ... (व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): कई पति भी house husband हैं।

डा॰ प्रभा ठाकुर: मैं समझती हूं राजीव शुक्ल जी उन सौभाग्यशाली पतियों में नहीं हैं। ...(व्यवधान)... हमें कई बार ऐसे व्यंग्य चित्र देखने को मिलते हैं कि स्त्री बेलन से पति को मार रही है। महोदय, ये व्यंग्य चित्र तो हंसी का विषय हैं। कई जगह कहा जाता है कि "पति उत्पीड़न संघ" बनना चाहिए। महोदय, ये सब हंसी-मजाक की बातें हैं।

श्री राजीव शुक्ल: वह मंच बना हुआ है।

डा॰ प्रभा ठाकुर: वह बना हुआ है, लेकिन उस में बहुत प्रपंच है। उस में कोई गंभीरता नहीं है। असलियत इस के बिल्कुल विपरीत है। आज भी 90 प्रतिशत महिलाओं की पढ़े-लिखे समाज में स्थिति यह है कि कई जगह औरतें तिहरा दायित्व निभा रही हैं। वे परिवार को संभाल रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं और नौकरी भी कर रही हैं। इस के बावजूद उन की परिवार में, समाज में वह हैसियत नहीं बन पायी है।

कुछ लोग कहते हैं कि अब तो बेटी के दोनों हाथों में लड्डू हो गए। वह ससुराल की भी हो गयी और मैके की भी हो गयीं मैं कहती हूं आप घबड़ाते क्यों हैं, जिन के घर में

बहू आएगी, आप बेटी का हिस्सा उसे देंगे तो बहू का हिस्सा मिलेगा भी। लेकिन बेटी और बहू के दोनों हाथों में लड्डू हैं, ऐसा नहीं है। आज सवाल है स्त्री को आर्थिक ताकत दिए जाने का और उस के आत्म-निर्भर होने का, उस का एक वजूद बनने का जिससे कि वह बेचारी नहीं रहेगी, वह दया की पात्र नहीं रहेगी और उस को समाज में एक आर्थिक मजबूती मिलेगी। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इस विधेयक को पारित किए जाने की बहुत आवश्यकता है। महोदय, मुझे 'पिंजर' फिल्म का एक गीत याद आ रहा है। अमृता प्रीतम एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, उन का यह एक बड़ा ही मार्मिक गीत है।

"बेटी है अपनी, फिर भी परायी, कैसी यह दुनिया की रीति री।

बेटों को देती है महल दुमहले और बेटी को देती परदेश री।

जग में जनम् क्यों लेती है बेटी।"

महोदय, आज यह हमारी लेखिकाओं को लिखना पड़ता है। महिला की समाज में ऐसी मार्मिक स्थिति है। आज हम चंद महिलाएं किन्हीं जगहों पर पहुंच सकी हैं और इस लायक हो सकी हैं कि अपनी आवाज बुलंद करें तो हमारा यह नैतिक कर्त्तव्य है कि हम उन महिलाओं की जो अनबोली हैं, जो अपनी बात का इजहार नहीं कर सकतीं, उनकी बात को इस मंच से उठाएं। इसलिए हम सब का यह कर्त्तव्य है कि इस विधेयक को पारित कर के उन के सशक्तिकरण में योगदान दें। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्रीमती चन्द्रकला पांडे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभापति महोदय, अधिकार हमें मिलने वाला है तो इस पर बातचीत भी हम ही करें, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस में पुरुषों को भी कुछ भागीदारी करनी चाहिए।

श्री उपसभापति: भागीदारी है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : महोदय, मैं सब से महले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कई वर्षों से प्रतीक्षित, आजादी की जयंती पर हमें एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है। हम ने कल 15 अगस्त मनाया और आज जो इस देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या है, उस को उन्होंने एक बहुत अच्छा नायाब तोहफा दिया है।

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) : यह 50 प्रतिशत को नहीं मिलेगा। यह सिर्फ हिंदुओं के लिए है, बाकी महिलाओं के लिए भी आवाज उठाइए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बढ़ रहे हैं, मैं कहती हूं कि हिंदू बढ़ रहे हैं ...(व्यवधान)... सुनिए, मैं अपनी बात कह रही हूं। मैं सोचती हूं कि 50 प्रतिशत हिंदू हैं, आप मानते होंगे कि 50 प्रतिशत मुसलमान हैं वह बात और है।

महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि महिला आरक्षण बिल की नौका जो अभी आशा-निराशा के बीच हिचकोले खा रही है, वह भले ही अपने साहिल पर न पहुंचे, लेकिन एक चीज की शुरूआत हुई है। यह बहुत अच्छी बात है। महोदय, मेरे ख्याल में Domestic Violence Bill भी संसद के इसी सत्र में आ जाएगा। महोदय, यहां बैठे-बैठे, जब मेरी बहनें बोल रही थीं तो मैं ने एक कविता लिखी। मैं उसे सुनाना चाहूंगी, उस के बाद बिल का समर्थन करूंगी। इस देश में महिलाओं को अपना घर नहीं मिलता है और वे इंतजार करती रहती हैं कि उन का कोई घर हो। इस बारे में मैं ने अभी-अभी लिखा है।

कट गया उम्र का एक अंश पिता के घर पराए घर जाने की तैयारी में,
सामाजिक आचार संहिता के फ्रेम में मढ़े जाने लायक तस्वीर बनने में।
फिर पति के घर, पराए घर से आई, पहले रही छुई मुई बिल्कुल पराई,
फिर घर के माल-असबाब, सामानों में शामिल होती बन गई स्वामिनी।
मैं सोचती हूं अच्छी केयर-टेकर। अंत में पुत्र के घर बिल्कुल पराई।
पुत्र की आंखों में दबा सकुचा सा प्रश्न - कब जाओगी मां अपने घर।
मां जो कभी बेटी थी, पत्नी बनी और अब बनी मां।
कहां रहा उसका घर, घर न मिला उसे अभी तक।
कट गई एक लंबी उमर इस सराय से उस सराय तक।

उपसभापति महोदय, उसके लिए पिता का घर एक सराय था, जहां उसने 20, 22, 25 साल बिताए। फिर पति का घर भी एक सराय बना, जहां 50 वर्ष उसने बिताए। पति की मृत्यु के बाद उसे कोई हिस्सा नहीं मिला, रहने को पुत्र का घर मिल गया और अब पुत्र कहने लगा कि मां कब जाओगी। अब वह कहां जाए? वह सोचती है कि एक सराय से दूसरी सराय तक उसकी इतनी लंबी उम्र कट गई।

श्री राजीव शुक्ल: पुत्र से पहले बहू कहती है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: वह कहती है, मगर पुत्र भी कहता है, मजे की बात यह है। बहू से तो यह आशा की जा सकती है, क्योंकि वह भी पराए घर से आई है तो सास को पराया ही मानेगी। पुत्र भी जब कहने लगता है कि मां कब तक यहां रहोगी, तो मां

5-00 P.M.

समझ नहीं पाती कि क्या करे? उसका तो अपना कोई घर ही नहीं था, तो कहां जाए? नौ हजार वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। महिलाओं का अपना घर होता था। इसलिए मैं इस विधेयक का एक बार फिर समर्थन करना चाहूंगी कि इस विधेयक के माध्यम से कम से कम पिता के घर में उसकी हिस्सेदारी होगी, जब वह चाहे आकर रह सकती है और पति के घर में तो उसका अस्तित्व होगा ही।

उपसभापति महोदय, मैं अपने विविध कामों के सिलसिले में इधर-उधर जाया करती हूं। दक्षिण भारत की तो मैं तारीफ करूंगी कि वहां महिलाओं की ऐसी स्थिति नहीं है, मगर उत्तर भारत में, जहां से मैं संबंध रखती हूं, बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले जब मैं अपने काम के सिलसिले में कार से जा रही थी, तो बनारस के आसपास हमारी कार पंचर हो गई। हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहां किसी घर से साइकिल-पंप मांग लेते हैं, शायद हवा भर जाए। मैंने कहा कि यहां तो महिलाएं साइकिल-पंप भी नहीं देना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें अपने पति, पुत्र या पिता से पूछना पड़ेगा। इस पर उसका कहना था कि आप किस देश की बात कर रही हैं, यहां की महिलाएं बहुत जागरूक हैं। हमने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि घर में कोई नहीं है। मैंने कहा कि फिर यह आवाज किसकी है? जो भी आप बोल रही हैं, बाहर निकल आइए। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि घर में कोई पुरूष नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस देश की महिलाएं अभी तक अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक नहीं हो पाई हैं और जिनकी शिराओं में इस तरह का रक्त-संचार हो कि वे सोचती हों कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो उनके लिए कानून तो बनें, लेकिन कानून बनने के बाद उसकी जानकारी महिलाओं को भी कराई जाए, जैसा अभी माया जी ने कहा और प्रभा जी ने भी कहा, मैं उनसे सहमत होना चाहूंगी। कानून की जानकारी मीडिया के जरिए, विविध माध्यमों से इस देश की साधारण महिलाओं को भी कराई जानी चाहिए, जिससे वे अपने अधिकारों के बारे में सजग और सतर्क हो सकें।

महोदय, हमारे समाज में एक और बुराई है और वह है पुत्र लालसा की, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी मेरी बहनों ने भी इस बारे में चर्चा की है। इस पुत्र लालसा को कम करने के लिए हमें अपने रिचुअल्स में देखना पड़ेगा और उसमें सुधार भी करना पड़ेगा, जिससे लोगों के मन में जो यह भावना बन गई है कि पुत्र के कारण स्वर्ग और पुत्री के कारण नर्क, इस भावना को खत्म करना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक यह माना गया है कि संपत्ति को पुत्र ही बढ़ाएगा, पुत्री किसी प्रकार संपत्ति को बढ़ाएगी नहीं, बल्कि उसे जो संपत्ति दी जाएगी वह दूसरे के घर लेकर चली जाएगी और

उससे कोई लाभ नहीं होगा। अथर्व वेद की एक उक्ति है - हे ईश्वर, पुत्र हमारे घरों में पैदा हों, पुत्रियां दूसरे के घरों में। वैदिक काल में अगर ऐसी बात थी कि हमारे घर में पुत्र पैदा हों और दूसरे के घर में पुत्रियां, तो पुत्रियां अगर पैदा न होतीं तो देश को, समाज को आप कैसे बढ़ाते, वंश को कैसे बढ़ाते? हर व्यक्ति उस समय प्रार्थना करता था कि ईश्वर हमारे घर में पुत्र पैदा करे और दूसरे के घर में पुत्रियां पैदा करे।

महोदय, दक्षिण भारत को छोड़कर, मैंने जहां भी मुहावरे कलेक्ट किए हैं, मुझे यह देखने को मिला - ''अभागे की गाय मरती है, सुभागे की बेटी''। यानी अगर गाय मरती है तो दूध मिलना बंद हो जाता है, जिससे व्यक्ति को तकलीफ होती है, मगर बेटी मर जाती है तो दहेज न देने की सुविधा होती है। ऐसे ही बंगाल में इसी तरह की कहावत है - ''अभागे का बैल मरता है, सुभागे की बीवी''।

वही बात हो गई कि अभागे का बैल मर गया है क्योंकि बैल खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सौभाग्यवान है कि बीवी मर गई, दहेज के साथ दूसरी बीवी आ जाएगी। अगर ये सारी धारणाएं लोकशैली में, कहावतों में स्थान पाए हुए हैं, तो लगता है कि अभी भी पुरानी मान्यता कहीं-कहीं जीवित है। यह जरूर है कि बहुत सी महिलाएं पढ़-लिखकर आगे बढ़ रही हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं, उन महिलाओं के दर्द और उनकी आवाज को भी वाणी देने की कोशिश कर रही हैं और इसी का प्रतिफल है कि आज यह बिल लाया गया है।

हम भले ही यह कहें कि संविधान सारे कानूनों की गारंटी देता है और कहता है कि We, the people of India के लिए यह सब बना है, लेकिन जब देने की बात आती है तो इस We में वे महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, केवल पुरुष ही शामिल होकर रह जाते हैं।

महोदय, 12वीं सदी ए॰डी॰ में मिताक्षरा और दायभाग जो थे, पूर्वी भारत, जिसमें पश्चिमी बंगाल है, उसके आसपास के इलाके में दायभाग और अधिकांश उत्तरी हिस्से और पश्चिमी भारत में मिताक्षरा का प्रचलन रहा है। कहीं-कहीं मायूखा, मासमख्यतयम, अलिया, संतना और नंबूदरी भी प्रचलित हैं। लेकिन उसमें वंशज को पुरुष श्रंखला से दाय रूप में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र को ही सम्पत्ति मिलती थी, महिला सदस्यों को नहीं। इस बिल के आने के बाद पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार की गारंटी मिल रही है, तो मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूं और मैं इसका समर्थन करना चाहूंगी।

हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें जो भी सिफारिशें दी गई थीं, प्राय: उन सिफारिशों को इसमें अंतर्विष्ट कर लिया गया है। जैसे एक जगह रिपोर्ट कहती

है, मैं क्वोट करना चाहूंगी - *''यह अधिनियम उत्तराधिकार अधिकारों में प्राप्त बड़ी विसंगतियों को दूर करेगा। यह पुत्रियों को, जिन्हें संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली में सहदायिक बनाया गया है, निवास गृह के मामले में समान दावेदार बनाएगा। कतिपय वर्गों में यह आपत्ति उठाई गई है कि यदि प्रस्तावित संशोधन का अधिनियम होता है, तो यह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में विखंडन को जन्म देगा। समिति महसूस करती है कि इस तरह की आशंका निराधार है तथा इससे स्त्री-पुरुष के बीच असमानता को समर्थन मिलता है।''*

अभी जब मैं बाहर निकली थी तो मुझसे हमारे किसी पुरुष मित्र ने कहा कि यह तो झगड़े को बढ़ावा देगा। मैं कहना चाहती हूं कि अगर दो भाइयों के बीच सम्पत्ति बांटी जाती है और भाइयों में मेल रह सकता है, तो अगर दो भाई और दो बहनों, चारों के बीच सम्पत्ति बंटती है तो यह माता-पिता पर निर्भर करता है कि वे झगड़ा न बढ़ने दें। झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह विधेयक पास होने के बाद इस देश की अनेकानेक पुत्रियों को सम्मान से जीने का हक मिलेगा, मैं इसके लिए सचमुच शुक्रगुजार हूं।

अंत में मैं दो छोटे-छोटे सुझाव देना चाहूंगी, सरकार उसके बारे में भी सोच सकती है। मैं जिस प्रदेश से आती हूं, वहां सरकार ने भूमि सुधार और संयुक्त पट्टों के वितरण द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी है। जो कृषि योग्य भूमि है, उसके बारे में भी सरकार सोचे। अगर किसी के पास खास सम्पत्ति नहीं है, केवल खेती की जमीन है, तो वह भी इसमें आनी चाहिए। पत्नी और पुत्री को भी पुत्र के बराबर अधिकार मिलना चाहिए।

मैं एक चीज और चाहूंगी, इस बिल में तो नहीं, मंत्री जी बाद में सोचें कि पति का जो बैंक-बैलेंस है, वह ज्वाइंट हो और पत्नी का नाम उसमें जरूर रहे, क्योंकि अगर पति सोचता है, जैसा कि प्रभा जो ने कहा, कि मैं दिनभर कड़ी मेहनत करके लाखों रुपए कमाता हूं, वे बैंक में जमा होते हैं, तो एक पत्नी, जो बिना किसी वेतन के सारा दिन घर में काम करती है, उसका भी उसमें उतना ही भाग होता है, जितना कि पति का। लोग कहते हैं कि वर्किंग वूमन या हाउस वाइफ। हाउस वाइफ शब्द ही उचित नहीं है। Every woman is a working woman, वह काम कर रही है, चाहे घर का काम कर रही है या बाहर का काम कर रही है, जहां का भी काम कर रही है और इसलिए पति अगर पैसे बचाता है तो इसलिए कि सारा श्रम, घर का जो सारा श्रम है, होम मैनेजमेंट सारा पत्नी के जिम्मे होता है। इसलिए ज्वाइंट प्रापर्टी होना चाहिए और बैंक बैलेंस भी ज्वाइंट हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए। अगर मंत्री जी यह सोंचे तो सहूलियत होगी।

मिताक्षरा सिस्टम आज उतना रेलिवेंट नहीं रह गया है, इस बिल के साथ वह संभव नहीं होगा, लेकिन बाद में सोच सकते हैं क्योंकि मिताक्षरा में बहनों और भाइयों के बीच

ही नहीं, भाइयों और भाइयों के बीच भी विभेद करने की कोशिश की गई। वहां बड़े भाई को कुछ, उससे छोटे को कुछ, उससे छोटे को कुछ। इस प्रकार का जो सिस्टम है, वह इतना लाभकारी नहीं है।

मैं मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देना चाहूंगी और अपने उन समस्त भाई-बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आज पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विधेयक का एक स्वर से समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद।

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on the Hindu Succession (Amendment) Bill, placed before the House for its consideration by the hon. Minister. The subject is dearer to me becuase it is our late beloved leader and former Chief Minister of A.P., Shri N.T. Rama Rao, who for the first time in India, gave women equal share in property rights in the State of A.P. but, whatever changes proposed in the present Bill are only cosmetic in nature and are in no way help the women in India. I give my justification to this statement in due course of my speech. As has been pointed out in the 174th Report of the Law Commission it is true that discrimination against women is so pervasive that it sometimes surface on a bare perusal of law made by this very Legislature. And, it is particularly so when it comes to laws governing the inheritance or succession of property amongst the members of the Joint Hindu Family. Sir, it is not only Manu who advocated women subordination, but even our legislature and the judiciary made women dependent and subservient to man -- when she is child, on her father; as a wife, on her husband; and in old age, on the son--for everything. We have been working on the issue of amelioration of women's position in society over the last about 80 years, when the first the Hindu Law of Inheritance Act 1929, was passed, then, in 1937, through Hindu Women's Right to Property Act, and then in 1956 and so many amendments to it. But, nothing positive has come out. The proposed Bill is, of course, to some extent, important towards gender equality and abolition of the patrilineal system of inheritance prevailing among Hindus. But, however, not only to my mind but almost all the women organizations, the proposed changes are not comprehensive enough and women will still be subjected to unequal property rights in many areas. The other point is, the proposed Amendments to the Mitakshara Joint Family Property laws making women equal coparceners are

sought to be made applicable only to women who are not married at the time this law is passed and is thus patently unjust because you are denying this right to women who have already married. It is not out of place to mention here that A.P. is the first State in the country which made daughter a coparcener of the Joint Hindu Family. So, I request to have some cut off date for this.

I wish to have reply from the hon. Minister on a point is it not a fact that during the enactment of Dowry Prohibition Act, women organizations have demanded for abolition of Joint Family System? At that time, it was assured that when the Hindu Succession Act would be amended this request would be considered. But, now you have done nothing on this. So, in a sense, the proposed amendment does not go far enough.

Through substitution of Section 6 with a new one and deleting Section 23, you are giving a little solace to women but, there are so many Sections which are blatantly discriminate against women in this country and are needed amendments. I would like to know why the Minister's attention has not been drawn towards these sections? The most important Section, which is used to deny property right to women in agricultural land is Section 4(2) of the Hindu Succession Act. The courts have upheld the State Land Reform Acts relating to devolution of tenancy right even though these do not allow women to inherit these tenancies. Some courts have further interpreted the term devolution of tenancy rights comprehensively to include devolution of tenure holder's right and have thus also denied women ownership rights over agricultural land. Thus, even laws meant for land reform and to enforce ceiling have resulted it denying to women equal rights over land and a chance to improve her disempowerment. Even responding to the questionnaire of the Law Commission, 81 per cent of the respondents favoured bringing gender equality in the heritance of agricultural land. But, the Ministry has done nothing in this regard.

The next point I wish to deal with is with regard to Section 30 of the Act, which allows any Hindu to dispose of his property, including his share in the joint family property, by will. Is the Minister not aware that this very Section can, and has been, used to disinherit women? Has it not been recommended by many that a limitation should be placed on the right to will. So, I would like to know whether the Ministry

has taken any steps in this regard. If yes, the details may be given. I would also like to be clarified that when such a provision exists in the Muslim law, where a Muslim can only will away up to a maximum of 1/3rd of his property, why don't you make this applicable to the Hindu Succession Act also?

Then, Sir, Section 15 of the Hindu Succession Act, which specifies how the property of a female Hindu will devolve, also contains certain discriminatory provisions. It states that in the absence of class I heirs, that is, son, daughters and husband, the property of a female Hindu will go to her husband's heirs, and, only if these heirs are not there, the property will devolve upon her mother and father. However, in the absence of mother and father, the property will again devolve upon their heirs of the father and only if there are no heirs of father will be property devolve upon the heirs of mother. So, here also there is discrimination. Why has the Minister's attention not gone towards this?

I would say, in conclusion that the social justice demands that the women should be treated equally, both in the economic and the social sphere. The exclusion of daughters from participating in coparcenary property ownership merely by reason of their sex is unjust.

डा॰ कुमकुम राय (बिहार): धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं अपने प्रधानमंत्री, डा॰ मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमति सोनिया गांधी और अपने विधि मंत्री **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल: महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण बिल है और उधर कोई है ही नहीं। सुषमा जी तक नहीं है। महिलाओं का **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: छोड़िए, आपको क्यों फ्रिक्र हो रही है? **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल: अहलुवालिया जी को नारायणसामी जी को बैठाना पड़ रहा है। **...(व्यवधान)...**

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): आपको क्या तकलीफ है? **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल: तकलीफ यह है कि यह इतना महत्वपूर्ण बिल है, इसमें लोगों को रहना तो चाहिए। **...(व्यवधान)...**

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): आप तो आते ही नहीं। ..(व्यवधान).. पार्लियामेंट में कितने समय रहे, इसका रिकॉर्ड निकालकर ..(व्यवधान)..

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: कभी-कभी तो आते हो और ऊपर से कह रहे हो कि ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बैठिए, ...(व्यवधान)... कुमकुम राय जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

डा॰ कुमकुम राय: मैं इन सभी को साधुवाद देना चाहती है। जब भी इस 21वीं शताब्दी का राजनीतिक और सामाजिक इतिहास लिखा जाएगा, तब निश्चित रूप से हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के इस संशोधन की चर्चा होगी जिसमें उन्होंने सदियों से प्रताड़ित, भेदभाव से पीड़ित, उपेक्षित महिलाओं को समानता का अधिकार देने का काम किया है। महोदय, दो दिन बाद रक्षा बंधन का त्यौहार आने वाला है। यह हिन्दुओं में बहुत ही संवेदना और बहुत ही भावपूर्ण स्थितियों में मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों के हाथों में रक्षा बंधन करती हैं और अपनी सुरक्षा की मांग करती है, उनसे गारंटी चाहती है। हमारे हिन्दू भाइयों ने इस रक्षा बंधन के पर्व पर, हम तमाम हिन्दू महिलाओं को जो यह उपहार दिया है, यह सदियों तक याद रखा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता लेकिन महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा न देकर लगातार हमारे यहां भेदभाव किया जाता रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किए गए महिला सशक्तिकरण के वायदे को पूर्ण करने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन का जो फैसला किया है, वह एक साहसिक निर्णय है जिसका सभी महिलाएं और देश के सभी नागरिक स्वागत करेंगे।

हिन्दू उत्तराधिकार का विषय संविधान की समवर्ती सूची में है। इस समय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में पुत्रियों को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा देने का कानूनी प्रावधान पहले से ही हो चुका है। इस प्रावधान को अन्य राज्यों में भी लागू करने के इरादे से ही केन्द्रीय कानून में संशोधन करने का यह स्वागत योग्य कदम उठाया गया है। इस विधेयक की सिफारिश विधि आयोग ने भी अपने 174वें प्रतिवेदन में की थी; किन्तु चार साल तक पिछली सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाला हुआ था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तत्कालीन सरकार ने पोटा जैसे विवादास्पद विधेयक को संयुक्त अधिवेशन करके पारित करवा लिया था लेकिन वह एनडीए सरकार, जो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने के भारी-भारी दावे करती थी, वह सरकार, स्त्रियों को पैतृक सम्पत्ति में

बराबर का हिस्सा देने में और महिला आरक्षण जैसा बिल पारित नहीं करवा सकी। महोदय, अभी तक देश के हिन्दू परिवारों में सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में दो तरह की प्रणालियां प्रचलित हैं। मिताक्षरा और दायभाग। दायभाग में सम्पत्ति का अधिकारी पिता या परिवार का मुखिया होता है।

चाहे वह सम्पत्ति जिस स्त्रोत से भी आई हो, यानी वह सम्पत्ति उसने विरासत में पाई हो या खुद अर्जित की हो, इसे वह अपनी मरज़ी से बेच या बांट सकता है। ''मिताक्षरा'' में पिता या परिवार का मुखिया या कोई भी व्यक्ति, सिर्फ उसी सम्पत्ति का अधिकारी होता है, जो वह स्वयं अर्जित करता है या जिसे वह माता या पिता से, किसी दूसरे सोर्स से, गिफ्ट रूप में भी प्राप्त करता है। लेकिन जो सम्पत्ति वह पैतृक उत्तराधिकार से प्राप्त करता है, उस पा उसका एकाधिकार नहीं होता, उसे पह अपनी मरज़ी से दान, बेच या बांट नहीं सकता। इस सम्पत्ति उस की तरह, परिवार के दूसरे वारिसों का भी समान अधिकार होता है। ''दायभाग'' पद्धति में सम्पत्ति वारिसों में बंटती ही नहीं, लेकिन ''मिताक्षरा'' पद्धति में पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के लिए संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अपना दावा पेश कर सकता है, पर बेटियां इस दावे को पेश नहीं कर सकती थीं।

महोदय, पहले इन दोनों ही पद्धतियों में स्त्री को वारिस का दर्जा नहीं दिया जाता था। काफी प्रतिरोध के बाद हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में बेटी, विधवा और माता को वारिसों में शमिल किया गया। पैतृक सम्पत्तियों में बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए ही यह उत्तराधिकार कानून बनाया गया था, लेकिन वास्तव में इस कानून का पूरा लाभ उन्हें आज तक नहीं मिला। बेटी, विधवा और मां इनमें से कोई भी अपने हिस्से की मांग तब तक नहीं कर सकती, जब तक उन्हें यह अपने प्राप्त नहीं हो जाता, यानी किसी हिंदू पिता की मृत्यु के बाद, जब उसकी पैत्रक सम्पत्ति का बंटवारा होगा, तो उसके बेटों के बराबर ही उसकी बेटियों और विधवा को भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन बेटियां बंटवारे की मांग नहीं कर सकती थीं। इसी पेंच के कारण 1956 का कानून सक्षम नहीं रहा, जिसे इस कानून में संशोधित किया जा रहा है। अब बेटियों को पराया धन कहकर, दहेज देकर, सम्पत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। बेटियां पिता की तमाम चल-अचल सम्पत्ति-खेत-खलिहान, मकान, ज़मीन और जमा-पूंजी पर अपना अधिकार जता सकेंगी। इस कानून के फायदे से मुसलमान व इसाई औरतें वंचित रहेंगी, किंतु भविष्य में वे कभी भी तैयार हुए, तो उन्हें भी इसका फायदा होगा। वैसे मेरी राय जैसी महिला ने कानूनी लड़ाई लड़कर, अपने भाइयों से अपना जायज़ हिस्सा पाने में सफलता पाई। शाह बानो के केस के फैसले में यदि तत्कालीन सरकार कानून बनाकर न पटलती, तो आज मुस्लिम

महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होती। अत: सिर्फ कानून बना देने से ही बराबरी का हक स्त्रियों को नहीं मिल जाता है। इसे प्रभावी भी बनाया जाए, इसका प्रचार व प्रसार भी किया जाए, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, जहां साक्षरता नहीं है, जहां कम पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं। जिस प्रकार से सरकारी विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उसी प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से इस कानून से मिलने वाले फायदे के रूप में उनको यह जानकारी दी जाए और तब इसका लाभ लेने में वे सक्षम हो सकेंगी।

महोदय, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कानूनी सहायता की बात कही। जो गरीब लोग हैं, वे कानूनी सहायता-मुकदमे वगैरह का खर्चा वहन नहीं कर सकते। उस प्रकार की कानूनी सहायता देने के लिए, उन्हें मुफ्त में यह सहायता कैसे उपलब्ध कराई जाए, इस पर भी सरकार स्वयं सोचे। इसलिए इस कानून के माध्यम से सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने का जो यह काम किया है, इसका चारों तरफ से स्वागत किया जाएगा। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार महिलाओं का शोषण हुआ करता था और जिस प्रकार से महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उस प्रकार की घरेलू हिंसा में भी अब कमी आएगी, क्योंकि वे अब आर्थिक रूप में सक्षम होंगी, इसलिए उनकी गरिमा बढ़ेगी। इसलिए चाहे दहेज हत्याएं होती हों, चाहे इसी प्रकार से महिलाओं पर दूसरे अत्याचार होते हों, मेरा मानना है कि इस कानून से उन तमाम दहेज हत्याओं में कमी आएगी, भ्रूण हत्याओं में भी कमी आएगी और साथ ही साथ घरेलू हिंसा में भी कमी आएगी। इसलिए इस विधेयक का मैं तहेदिल से स्वागत करती हूं। धन्यवाद।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, thank you very much for permitting me to speak on this subject after so many lady Members have welcomed this Bill. Probably, you have permitted me to show that male Members are second to none in welcoming this Bill. Sir, I welcome this Bill. I thank the hon. Law Minister for bringing forward this Bill and for following the promise given in the Common Minimum Programme to give equal rights of ownership of assets to women.

Sir, the parent act, namely, the Hindu Succession Act, unfortunately, did not permit equal rights for women. It was because of this reason, probably, that this country had to suffer the evil of dowry for so long. Had it been brought much earlier, this would not have happened in this country. I would only recall Dr. Kalaignar who introduced an amendment in the special Act for Tamil Nadu wherein equal rights for women were recognised as early as in 1990. Not only

that, women were recognised in various spheres, and their rights were recognised in all spheres in the State of Tamil Nadu during the DMK rules. In 1996, in the local bodies elections, women were given one-third representation. some other reformations were made encouraging women to study. The women who studied up to 8th standard were given an assistance of Rs. 10,000/- as marriage gift. Not only that, women were encouraged to join as teachers. In all the elementary schools, only women were employed as teachers. That was done during the DMK regime in Tamil Nadu. In the year 1967, the first DMK Ministry in Tamil Nadu brought an amendment under section 7(A) to the Hindu Marriage Act where the 'suyamariyadhai seerthirtuha' marriage, known as the reformative marriage, were allowed to be performed and that was given due recognition under the Hindu Marriage Act. By this amendment, exchange of garlands or rings by any couple in front of friends, that particular form of marriage, was legally recognised. Sir, such was the attitude of the DMK Party when they were in power, as far as the point of encouraging women is concerned. On this occasion, I would like to make one request to the hon. Law Minister regarding the recent judgement of the Supreme Court where reservation was not given by the private educational institutions. I take this opportunity to insist on the Law Minister to introduce the Bill and bring in proper amendments ensuring reservation in private educational institutions.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Hon. Deputy Chairman, Sir, I am very grateful to the hon. Members who have supported this Amendment Bill. Sir, I would like to inform the hon. Members that this is only a measure, which is very limited. It is with a view to remove the gender bias in the Hindu Succession Mitakshara Coparcenary property. There is a lot more scope to do several things to support women, and this Government is committed to do that. We are already ready with the Domestic Violence Act, which is very, very important piece of legislation. But since it does not fall within my Allocation of Business, it will come through a different Ministry. I have drafted this Bill. If it is enacted, it will have far-reaching consequences.

Shrimati Maya Singh pointed out about destitution of women. We are all aware that for centuries women have been exploited. We are all equally committed now to remove that discrimination, and we

have strong will to do that.

Sir, with regard to some lines spoken, they are matters of the past where there was discrimination in olden times; some centuries ago or half a century ago, when, normally, people had some sort of discrimination. But I don't agree and I don't subscribe that in the present society, there is any discrimination between a female child and a male child. Going by my own experience, and I am an ordinary man, I love my daughters more and it is the common experience of everyone that the daughters serve the parents much more than the sons. So, why should we discriminate merely because she is a female? This society has shown that it has changed, and now it will not be said... कि अब यह घर तेरा नहीं, तेरे लिए पराया है। अब यह कहा जाएगा, यह घर भी तेरा है, वह घर भी तेरा है, दो घर अब बेटी के होंगे। आज से हमें यह कहना शुरू करना चाहिए, बेटा, यह शादी की रस्म और शादी विवाह करना सांसारिक आवश्यकता है, इसके बगैर सृष्टि आगे नहीं चल सकती, संसार आगे नहीं चल सकता, मैं बहुत दुख के साथ बेटी को विदा कर रहा हूं, लेकिन बेटा, इस घर में जो तेरा कमरा है, इसे और सुंदर और सुसज्जित करके रखा जाएगा, जब तेरा जी करे, यहां आओ और वहां भी सुखी रहो, आज से तेरे दो घर हैं, यह आंगन, यह बगीचा और यह तेरा खेत, इसमें जैसे तेरे भाई का हिस्सा है, वैसे ही तेरा हिस्सा है। आज से हम सभी को यह कहना शुरू कर देना चाहिए, तभी जाकर मानसिक स्थिति बदलेगी। हम समझते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति में, सभ्यता में यह बहुत ही जरूरी है और यह हो चुका है। हमारे देश में नारी का स्थान हमेशा से बहुत ऊंचा है। शिव के साथ पार्वती का स्थान, आप देखिए कि शिव और पार्वती दोनों नहीं होते हैं तो उनकी पावर पूरी नहीं होती है। इसी तरह राम और सीता हैं, बराबर का आसन है। हमारे राजा-महाराजा भी जब दरबार में बैठते थे तो अपने कांसर्ट को साथ बिठाते थे। स्त्री के बगैर मनुष्य की शक्ति पूरी नहीं है, इसीलिए ईश्वर का स्वयं नाम अर्द्धनारीश्वर है। हमारी संस्कृति में कोई दोष नहीं है, हमारी संस्कृति का इंटरप्रेटेशन करने वालों में दोष है, मानसिक स्थिति में दोष है। मुझे गर्व है, मैं इस महान् सदन में, माया जी का खास तौर पर शुक्रगुजार हूं कि इस प्रकार का उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। जब मैं हाउस में आया था तो कुछ लोगों ने मुझे चिंतित कर दिया था। कुछ लोग इसे सही मायनों में नहीं समझ पाए, लेकिन आज जिस प्रकार से मैंने आपकी स्पीच सुनी और आपके मस्तिष्क की जिस प्रकार से क्लेरिटी है, वह मैंने समझी और मेरी जितनी भी महिला बहनें बोलीं, आदरणीय सदस्या बोलीं, उससे मुझे लगा कि आज महिला आदमी से अच्छा काम कर रही है, चाहे वह सांसद हो, मंत्री हो, साइंटिस्ट हो। हमारी छोटी सी लड़की कल्पना चावला ने राकेश

शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाकर हमारा सिर ऊंचा किया। ऐसी बेटियों के साथ कैसे भेदभाव किया जा सकता है? लड़की हमारे दिल का टुकड़ा होती है। जब हम बेटी को विदा करते हैं, मैंने अपनी बेटी को भी विदा किया था, मैं कभी भी जिंदगी में नहीं रोया, लेकिन उस दिन मैं जरूर रोया कि मेरा मन इस बेटी के बगैर कैसे लगेगा, जो सुबह ब्रेकफास्ट देती है, कॉलेज जाते वक्त बाय-बाय करके जाती है। ऐसे प्यारे बच्चे को हम भेदभाव से ट्रीट नहीं कर सकते। इस सोच को बदलना होगा। महिला को मजबूत करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं। पिछली बार कुमकुम जी से मैंने अपने भाषण में कहा था, मैं वकील बनने से पहले साहित्य का स्टूडेंट था, मैंने जयशंकर प्रसाद जी की कामायिनी पढ़ी थी, मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन दो पंक्तियां हमेशा याद रहती हैं, वे इस प्रकार हैं,

नारी तुम केवल श्रद्धा हो,

विश्वास रजत नभ, तल में।

पीयूष स्रोत सी बहा करो

जीवन के सुंदर समतल में।

अगर हम यही भावना नारी के प्रति रखें तो विश्वासदायिनी, शक्तिदायिनी सब कुछ स्त्री है। जगत् जननी है, इसके लिए हम छोटी सी चीज करें और उसमें भी यदि रिजर्वेशन रखें, तो यह हमारे समाज को शोभा नहीं देता। सारी संस्कृति और सारे विश्व में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हिलेरी क्लिंटन आदि नाम ऐसे ही हैं। ऐसी महिलाएं भारतवर्ष में इतनी हैं कि उनकी प्रतिभा को आगे लाना चाहिए। मैं बहुत जोरों के साथ रात-दिन, उस बिल पर काम कर रहा हूं जो 1/3 रिजर्वेशन देने वाला है। मैं चाहता हूं कि इस बिल के बाद मेरे हाथ मजबूत होंगे। चाहे मुझे किसी भी रूप में, कैसी भी मेहनत करनी पड़ी, हम यह दिखा दें कि इक्कीसवीं सदी में भारतवर्ष बदल चुका है और महिलाओं को आदर देने में, महिलाओं को शक्ति देने में, महिलाओं को हक देने में अग्रणी है।

इस बिल के द्वारा मैंने खाली सैक्शन 6 में daughter को coparcenary property में add किया है। दूसरा, उनके बच्चों के लिए है। कितने भेदभाव की बात थी कि बेटे के बेटा-बेटी Class-I के heirs थे, बेटी के Class-II के थे। हमने खाली इतना किया कि उनको भी Class-I में डाल दिया। फिर married महिलाएं इस अधिकार से वंचित थीं, खाली unmarried को मेन बिल में यह अधिकार दिया गया था। इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की रिकमंडेशन आई, तो हमने married और unmarried दोनों के लिए इसमें व्यवस्था कर दी है। यह कमेटी की रिकमंडेशन के बाद हुआ है। अभी आंध्र प्रदेश की माननीय सदस्या ने यह भेदभाव की बात उठाई थी, आपको तो मालूम ही है कि एन॰टी॰

रामा राव, जो मेरे परम मित्र थे, उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में यह भेदभाव दूर किया था। मैंने वह सैक्शन 4(2), जो हिंदू सक्सेशन ऐक्ट में था, उसको omit कर दिया है, यह भी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमंडेशन थी। सैक्शन 23 को भी omit कर दिया है, सैक्शन 24 को भी omit कर दिया है। अब यह हिंदू सक्सेशन ऐक्ट बिल्कुल साफ-सुथरा है और इसमें लड़का और लड़की के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इससे आगे क्या करना है, यह आप और हम सब मिलकर सोचें कि किस प्रकार सदियों पुराना जो सिस्टम था, जो भेदभाव था, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। यह भेदभाव शैडयूल्ड कास्ट्स के साथ भी हुआ, महिलाओं के साथ भी हुआ, यह तो पिछला इतिहास है। हमको अब आगे आने वाले इतिहास का निर्माण करना है। वह काम हमारी महान नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और डा० मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया है। Gender bias के लिए उनका आदेश है कि हर कानून को टटोलकर देखो, जहां भी gender bias हो, उसको खत्म करो। मैं कितने ही कानूनों की समीक्षा कर रहा हूं। मैं देखूंगा कि जहां भी gender bias होगा, उसको तुरंत दूर कर दिया जाएगा। आपने मुझे जो समर्थन दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और मैं चाहता हूं कि यह सदन इस परंपरा को चलाए रखे ताकि 21वीं शताब्दी में हम विश्व के महान देशों में गिने जाएं। मैं दोबारा आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. We shall take up insertion of a new clause.

New Clause-1A

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I move:

That at page 1, *after* line 4, the following clause be *inserted,* namely:—

3 "1A. In section 4 of the Hindu Succession Act, 1956 (hereinafter referred to as the principal Act), sub-section (2) shall be *omitted.*"

The question was put and the motion was adopted.

New Clause-1A was added to the Bill.

Clause-2

SHRI H.R. BHARDWAJ: I move:

4. That at page 1, lines 5-6 *for* the words, brackets and figure "of the Hindu Succession Act, 1956 (hereinafter referred to as the principal Act)" the words "in the principal Act" be *substituted.*

5. That at page 1, line 8, *for* the figure "2004" the figure "2005" be *substituted.*

6. That at page 2, *for* lines 1-2, the following be *substituted.*

namely:—

"(a) by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son."

7. That at page 2, line 5, the words "and disabilities" be *omitted.*

8. That at page 2, line 8, *for* the words "to a daughter" the words "to a daughter of a coparcener" be *substituted.*

9. That at page 2, for lines 9-10, the following be *substituted.* namely:—

"Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or allenation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

10. That at page 2, line 14, the words "will or other" be *omitted.*

11. That at page 2, line 17, *for* the figure "2004" the figure "2005" be *substituted.*

12. That at page 2, line 34, *for* the figure "2004" the figure "2005" be *substituted.*

13. That at page 2, line 37, *for* the words "on the ground" the words "solely on the ground be *substituted.*

14. That at page 2, line 40, *for* the figure "2004" the figure "2005" be *substituted.*

15. That at page 2, line 47, figure "2004" the figure "2005" be *substituted.*

Sir, I am not moving amendment no. 16, I move:

17. That at page 3, line 4, *for* the figure "2004" the figure "2005" be *substituted.*

18. That at page 3, line 6, *for* the words, bracket and figure "before the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2004" the words and figure "before the 20th day of December, 2004" be *substituted.*

19. That at page 3, *after* line 6, the following be *inserted,* namely:—

"Explanation II— For the purposes of this section "partition" means any partition made by execution of a deed of partition duly registered under the Registration Act, 1908 or partition effected by a decree of a court."

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

New Clause-3 A

(Omission of Section 24)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up insertion of new Clause-3A. There is an amendment for insertion of a new Clause-3A.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I move:

20. That at page 3, *after* line 7, the following clause be *inserted,* namely:—

"3A. Section 24 of the principal Act shall be omitted."

The question was put and the motion was adopted.

New Clause 3-A was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

New Clause- 5

(Amendment of Schedule)

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I move:

21. That at page 3, *after* line 9, the following be added, namely:—

"5. In the Schedule to the principal Act, under the sub-heading "*Class I*", after the words "widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son", the words "son of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter, daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter, daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter, daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son" shall be added."

The question was put and the motion was adopted.

New Clause-5 was added to the Bill.

Clause - 1

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I move:

(2) That at page 1, line 2, *for* the figure "2004" the figure "2005" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I move:

(1) That at page 1, line 1, *for* the word "Fifty fifth" the word "Fifty-sixth" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I beg to move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at thirty-six minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 17th August, 2005.

MGIPMRND—3150RS—27-01-2006